

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2-

संख्या-1769 /ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-296-उप्र0अधि0-1-2017-आदेश-
(365)-2025

लखनऊ: दिनांक: 03-10-2025

शुद्धि-पत्र

राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-
1700/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-285-उप्र0अधि0-1-2017-आदेश-(360)-
2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में,-

(i) पृष्ठ 8, क्रम संख्या 121 में, " रबर" के स्थान पर " इरेजर" पढ़ें
(ii) पृष्ठ 10, क्रम संख्या 167 में, "पूजा सामग्री अर्थात:-, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी
कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र
धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊ;, पंचामृत,,
विभूति,, बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टिका
" के स्थान पर,

" पूजा समागरी अर्थात:-

- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी,
दूध और दही का मिश्रण);
- (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);
- (iii) लकड़ी की खड़ाऊ;
- (iv) पंचामृत;
- (v) विभूति;
- (vi) बिना ब्रांड वाला शहद;
- (vii) दीये की बाती;
- (viii) रोली;
- (ix) कलावा (रक्षा सूत्र);
- (x) चंदन टिका " पढ़ें;

आज्ञा से,

Digitally signed by
M DEVARAJ

(एस0 देवराज)
Date: 03-10-2025
18:21:15

सूचिव